



सप्तदश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-28.07.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

| क्र०सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---------|--------------|------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- श्री ललित कुमार यादव,
स०वि०स०
- श्री आलोक कुमार मेहता,
स०वि०स०
- श्री भूदेव चौधरी,
स०वि०स०
- श्री भाई वीरेन्द्र,
स०वि०स०

“राज्य में समय पूर्व अतिवृष्टि होने से किसानों कृषि के धान का बीचड़ा (बीज) गल जाने के कारण किसानों को धान रोपाई में अधिक कठिनाई हो रही है। धान की रोपनी समय पर नहीं होने से धान उपज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के डर से किसानों में भारी आक्रोश है।

अतः किसानों के बीचड़ों की क्षति की भारपाई एवं किसानों की अन्य समस्याओं पर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

2. श्री विजय कुमार खेमका,
स०वि०स०
श्री अवधेश सिंह,
स०वि०स०
श्री विनय कुमार चौधरी,
स०वि०स०
श्री कृष्ण कुमार ऋषि,
स०वि०स०
डॉ० सुनील कुमार,
स०वि०स०

“बिहार सहित देश में बढ़ती जनसंख्या पर नीतिगत् स्वास्थ्य विचार करते हुए अगले 50 वर्षों के हिसाब से नीति निर्धारण की आवश्यकता है। सीमित संसाधन पर विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधन कम पड़ने लगा है। कृषि योग्य भूमि का आवासीय उपयोग होने लगा है तथा पानी का दोहन काफी अधिक होने के कारण पानी का स्तर नीचे गिरने लगा है जिससे पर्यावरण पर खतरा उत्पन्न हो गया है। आम आदमी को स्वच्छ हवा भी नहीं मिलती है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए दो बच्चों का प्रावधान समुदाय, क्षेत्र तथा जाति सभी पर समान रूप से लागू करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा महिलाओं को शिक्षित कर जनसंख्या पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः पर्यावरण संरक्षण एवं सीमित संसाधन के हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण के लिए दो बच्चों का प्रावधान समुदाय, क्षेत्र तथा जाति सभी पर समान रूप से लागू करने की ओर हम सदन माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

भूदेव राय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-24/2021- २३५९ / वि०स०, पटना, दिनांक- २७ जुलाई, 2021 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यागण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / कृषि विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१२५८/२१
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-24/2021- २३५९ / वि०स०, पटना, दिनांक- २७ जुलाई, 2021 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

१२५९/२१
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।